न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./187/18/टोंक (2018/00187)

विभागीय अपील द्वारा श्री दिनेश कुमार पारीक तत्कालीन पटवारी हलका सुनारी तहसील निवाई हाल भू.अ.निरीक्षक, करेड़ाबुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर टोंक दिनांक 26–05–2000 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री दिनेश कुमार पारीक तत्कालीन पटवारी हलका सुनारी तहसील निवाई हाल भू.अ.निरीक्षक, करेड़ाबुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः– 02.08.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 26–05–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 14.10.1996 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

आप श्री दिनेश कुमार पारीक जब आप पटवार मण्डल सुनारी तहसील निवाई में पटवारी के पद पर पदस्थापित थे तब आपने तहसीलदार, निवाई के आदेश क्रमांक 1082–87 भू.अ./ दिनांक 2.3.96 की पालना में पटवार मण्डल सुनारी का सम्पूर्ण चार्ज हस्तांतरण नहीं कर आदेशों की अवहेलना की है। जिसके लिए आप दोषारोपित है।

आरोप संख्या –दो

आप उक्त श्री दिनेश कुमार पारीक पटवारी तहसील निवाई दिनांक दिनांक 11–3–96 से 24–3–96 तक अपने कार्य से स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहे है उक्त अवधि का न तो आपने कोई अवकाश स्वीकृत करवाया न ही मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति ली जिस हेतु आप स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के दोष से दोषारोपित है।

आरोप संख्या –तीन

आप उक्त श्री दिनेश कुमार पारीक पटवारी तहसील निवाई दिनांक 25–3–96 को उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात बिना अवकाश स्वीकृत करवाये स्वेच्छा से दिनांक 26–3–96 से दिनांक 14–7–96 तक अनुपस्थित रहे है जिसके लिए आप दोषारोपित है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तत्पश्चात सहायक कलक्टर प्रथम टोंक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जिनके समक्ष पटवारी हलका सुनारी द्वारा दिनांक 21–11–1997 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। सहायक कलक्टर प्रथम टोंक द्वारा अपने पत्र क्रमांक 26 दिनांक 19–1–2000 को जिला कलक्टर, टोंक को अन्तर्गत धारा 16 सीसीए के तहत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने पटवारी हलका पर लगाये गये आरोपों को पूर्णतया सिद्ध माना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर, टोंक ने आदेश पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए अपीलांट को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, टोंक के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, टोंक का आदेश दिनांक 26–05–2000 सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि जांच अधिकारी सहायक कलक्टर प्रथम टोंक द्वारा तीन आरोपों पर अपीलांट को दोषी मानते हुए जिला कलक्टर टोंक को जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसके आधार पर जिला कलक्टर, टोंक द्वारा आदेश दिनांक 26–5–2000 द्वारा जांच अधिकारी के आरोप संख्या 1 व 2 को अपने निर्णय दिनांक 26–5–2000 में सिद्ध नहीं माना है। आरोप संख्या 3 के अन्तर्गत निर्णय में उक्त अनुपस्थिति मां की बीमारी के कारण रहना अंकित किया है और कोई सबूत इस क्रम में प्रस्तुत नहीं किया। मात्र इस आरोप को मानते हुए दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उनके द्वारा यह भी कथन किया कि मेरे द्वारा उक्त सूचना यूपीसी द्वारा तहसीलदार निवाई को भिजवा दी गई थी तथा मां की बीमारी का ईलाज प्राईवेट अस्पताल में व देशी ईलाज करवाने के कारण मां का रोग प्रमाण पत्र पेश नहीं कर सका। वैसे भी परिवार में यदि कोई बीमार होने के कारण कोई राजकीय कर्मचारी अवकाश पर रहता है तो उसे परिवार के सदस्य का कोई रोग प्रमाण पत्र पेश करने का नियमों में प्रावधान नहीं है। प्रार्थी द्वारा तहसील निवाई में प्रेषित अवकाश प्रार्थना पत्रों की यूपीसी डाक विभाग की रसीद प्रस्तुत की गई जिसको नकारने का आधार नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा उक्त पत्रों को तहसील में नहीं आने के संबंध में कोई तथ्य संलग्न नहीं किये गये। जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में तीनो आरोप सिद्ध पाये गये है जबकि प्रार्थी द्वारा पटवार मण्डल सुनारी का चार्ज दिनांक 8–3–1996 को दे दिया गया। 9 व 10 मार्च 1996 को राजकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 11–3–1996 को उपस्थित होना था किन्तु उक्त अवधि में बीमार होने के कारण दिनांक 25–3–1996 को उपस्थिति दी गई। अपीलांट द्वारा बीमारी से ठीक होने के उपरान्त पटवार मण्डल सुनारी का शेष चार्ज संभला दिया गया था । मेरी माताजी की बीमारी के कारण दिनांक 26–3–1996 को कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका जिसके संबंध में तहसीलदार निवाई को जरिये डाक से अवकाश प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया था। दिनांक 15–7–1996 को स्वयं के ठीक होने के उपरान्त तहसील कार्यालय में उपस्थित होने के पश्चात रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र एवं डाक यूपीसी की रसीद प्रस्तुत कर दी थी। जांच अधिकारी सहायक कलक्टर प्रथम द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में तीनों आरोपों को सिद्ध माना है। अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर, टोंक द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुए आरोप संख्या 1 व 2 को सिद्ध नहीं माना है। आरोप संख्या 3 को भी आंशिक सिद्ध मानते हुए दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से राके जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 26–3–1996 से 7–7–1996 तक कुल 104 दिवस का असाधारण अवकाश तथा

दिनांक 8–7–1996 से 14–7–1996 तक रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत करने के आदेश दिये गये।

उनके द्वारा यह भी कथन किया कि नियमों मे यह प्रावधान है कि जांच अधिकारी द्वारा न तो कोई बयान लिये गये ना ही विभागीय प्रतिनिधि द्वारा आरोप पत्र के संबंध में कोई बयान करवाये गये ना ही कोई साक्ष्य पेश किये गये। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर भी नहीं दिया गया। आफिस कानूनगों के भी बयान नहीं करवाये गये। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आरोप सिद्ध होते हो। प्रार्थी की माता तत्कालीन समय में आयु 60 वर्ष की थी तथा प्राचीन विचारो की होने के कारण बीमारी के दौरान देशी एवं आयुर्वेदिक दवाओं का अधिक इस्तेमाल किया करती थी। मेरी माता पिता की मृत्यु के पश्चात मेरे पास ही रहती थी। उनकी बीमारी के दौरान दिनांक 26–3–1996 से 7–7–1996 तक उनकी सेवा करता रहा। तहसीलदार निवाई द्वारा अपीलांट को दिनांक 2–3–1996 को पटवार मण्डल सुनारी से हटाकर तहसील निवाई कार्यालय में लगाया गया था जिसमें राजकार्य बिल्कुल नहीं करना एवं आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया गया है परन्तु तहसीलदार निवाई द्वारा राजकार्य बिल्कुल नहीं करने एवं आदेशों की अवहेलना करने के संबंध में कोई आरोप पत्र नहीं दिये गये न ही कोई विभागीय जांच प्रस्तावित की गई। जिला कलक्टर, टोक द्वारा मनमाने तरीके से 16 सीसीए के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये। कार्मिक विभाग के कई ऐसे परिपत्र समय–समय पर जारी हुए है कि आरोपित कार्मिक को प्राथमिक जांच के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जावे जिससे आरोपित कार्मिक अपना पक्ष रखकर मामले को स्पष्ट कर सके। इस प्रकार कार्मिक विभाग के निर्देशों व न्याय सिद्धान्तों की अवमानना करते हुए जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच रिपोर्ट के आधार पर दण्डित किया गया। अतः जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश निरस्तनीय है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, टोंक से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत की गई हैं। तहसीलदार निवाई द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अनुपस्थिति की सूचना भिजवाई जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 में पत्रांक 5818 दिनांक 14–10–96 द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में जवाब चाहा गया। निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर सहायक कलक्टर प्रथम टोंक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जांच के दौरान अपीलार्थी को जांच अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। विभागीय जांच के दौरान तहसीलदार निवाई, विभागीय

प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 16–11–1998 को विभागीय प्रतिनिधि की ओर सेअभिलेख व साक्ष्य प्रस्तुत करना अंकित है परन्तु पत्र के साथ श्री रामलाल जाट पटवारी की दिनांक 4.4.1996 को ही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और कोई अभिलेख व बयान संलग्न नहीं है।

अपीलार्थी को पत्रांक 807 दिनांक 13.3.2000 के साथ जांच रिपोर्ट की फोटो प्रति दी जाकर अंतिम अभ्यावेदन चाहा गया है जो दिनांक 18.3.2000 को अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया जाने के उपरान्त भी कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रांक 1874 दिनांक 1.5.2000 द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पत्र जारी किया गया है तथा व्यक्तिगत सुनवाई में कार्मिक उपस्थित भी हुआ है परन्तु अंतिम अभ्यावेदन का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया जाकर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच अधिकारी द्वारा दौरान जांच युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी को दिया गया दण्डादेश युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमों में दी गई प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया है जो उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 26–05–2000 द्वारा श्री दिनेश कुमार पारीक पटवारी पटवार हलका सुनारी तहसील निवाई हाल भू.अ.निरीक्षक, करेड़ाबुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया है। जांच अधिकारी सहायक कलक्टर प्रथम टोंक द्वारा अपीलांट के विरूद्ध लगाये गये तीनो आरोपों को सिद्ध माना है जबकि अपीलांट द्वारा स्वयं की बीमारी एवं अपनी माताजी के बीमार रहने के कारण अवकाश पर रहने का कथन किया है। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपनी जांच के दौरान किसी भी प्रतिनिधि के बयान आदि नहीं लिये गये और न ही कोई साक्ष्य या सबूत उनके द्वारा जुटाये गये। केवल तहसीलदार निवाई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की गई है जबकि अपीलांट द्वारा अवकाश पर रहने के संबंध में जरिये डाक द्वारा सूचना भिजवा दी गई थी। जिला कलक्टर, टोंक ने अपने आदेश दिनांक 26.5.2000 में आरोप संख्या 1 व 2 को अपीलांट द्वारा स्वयं की बीमारी का रोग एवं आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण सिद्ध नहीं

माना है। तीसरे आरोप में दिनांक 26–3–96 से 7–7–96 तक कुल 104 दिवस की स्वेच्छिक अनुपस्थिति के क्रम में अपीलांट का जवाब संतोषप्रद नहीं होने के संबंध में जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की है। अपीलांट ने अनुपस्थिति के क्रम में अपनी मां की बीमारी के कारण रहना अंकित किया है परन्तु इस संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं करने पर दण्डित किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अपनी स्वयं की बीमारी के कारण अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार निवाई को रोग एवं आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा अपनी मां की बीमारी का ईलाज देशी वैद्य से कराने के कारण कोई रोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है तो अवकाश पर रहने के कारण उसका रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अपनी स्वयं की बीमारी का रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। अपीलांट द्वारा अवकाश पर रहने के संबंध में तहसील कार्यालय निवाई में यू.पीसी के माध्यम से सूचना भिजवाई गई थी जिसे जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख नहीं कर अपचारी कर्मचारी के स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया है। नियमों/परिपत्रों में यह भी प्रावधान है कि किसी भी कार्मिक के आकस्मिक कार्य पड़ने पर वह अपने घर से भी आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र भेज कर कार्यालय को सूचित कर सकता है। यह अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उस पर अवकाश स्वीकृत करने अथवा नहीं करने की या अस्वीकार करने की स्थिति में कार्मिक को सूचित कर उसे कार्य पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित करते हुए अपनी टिप्पणी अंकित करे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रेषित रोग आरोग्य प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया जिससे सिद्ध है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा बीमार रहने एवं उसकी माताजी की बीमारी के कारण देशी ईलाज करवाने के लिए अवकाश पर रहा था। अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिये गये जवाब एवं दलीलों से सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। अपचारी कर्मचारी द्वारा तहसील कार्यालय में समय–समय पर अपने अवकाशों के संबंध में सूचना दी जाती रही है जिसे नजरअन्दाज किया गया है। नियमों में यी भी प्रावधान है कि किसी भी कार्मिक द्वारा लिये गये आकस्मिक/उपार्जित अवकाशों को मामले की गम्भीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जा सकते है। जिला कलक्टर टोंक ने सहायक कलक्टर प्रथम टोंक की जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को आधार मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है जबकि जिला कलक्टर ने

स्वयं अपने आदेश में ही आरोप संख्या 1 व 2 को सिद्ध नहीं माना है एवं साथ ही अनुपस्थितिकाल की अवधि का अवकाश भी स्वीकृत करने के आदेश दिये गये है। अतः जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 26–05–2000 एवं आदेश क्रमांक भूअ./6/एफ.2(9)वि.जा./96/2969 दिनांक 17.6.2000 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है। अतः अपचारी कार्मिक श्री दिनेश कुमार पारीक पटवारी हलका सुनारी तहसील निवाई हाल भू.अ.निरीक्षक, करेड़ाबुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 16 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य हैं

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 26–5–2000 एवं आदेश क्रमांक भूअ./6/एफ.2(9)वि.जा./96/2969 दिनांक 17.6.2000 निरस्त किया जाता है। साथ ही अपचारी कर्मचारी को भविष्य में सावधानीपूर्वक राजकार्य किये जाने की हिदायत दी जाती है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर